न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 12 / 2024

दायर दिनांक–30.01.2024

1. किशोर कंवर बेवा सुमेर सिंह
2. विनोद कंवर पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी देवीपुरा पटवार हल्का चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

– आवेदिकागण

– :: बनाम ::–

1. ओमकंवर पुत्री सुमेर सिंह
2. मदन कंवर पुत्री सुमेर सिंह
3. गोविन्द सिंह पुत्र छोटू सिंह
4. दशरथ सिंह पुत्र छोटू सिंह
5. सूचिता कंवर पुत्री छोटू सिंह
6. संजू कंवर पत्री छोटू सिंह
7. समंदर सिंह पुत्र छोटू सिंह
8. सुमन कंवर पुत्री छोटू सिंह
9. सुरज्ञान कंवर पुत्री छोटू सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी देवीपुरा तहसील नवलगढ जिला झुंझूनू
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
11. उप पजीयक उप पंजीयन कार्यालय नवलगढ़
12. इन्द्र कंवर पत्नी मांगु सिंह
13. ओम कंवर पुत्री सुप्यार सिंह
14. कल्याण सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
15. किरण कंवर पत्नी गिरवर सिंह
16. गुलाब कंवर पत्नी गणपत सिंह
17. गोरधन सिंह पुत्र जमन सिंह
18. जगमाल सिंह पुत्र जमन सिंह
19. जयराम सिंह पुत्र अमर सिंह
20. जितेन्द्र सिंह पुत्र धापू कंवर
21. तोप कंवर पत्नी अरजन सिंह
22. दरियाव कंवर पुत्री अमर सिंह
23. नेम कंवर पुत्री सुप्यार कंवर
24. प्रताप सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
25. प्रताप सिंह पुत्र श्याम सिंह
26. पुष्पा कंव पत्नी प्रहलाद सिंह
27. बेरीसाल सिंह पुत्र जमन सिह
28. बलराम सिंह पुत्र गणपत सिंह
29. बोदू सिंह पुत्र बजरंग सिंह
30. भंवर कंवर पत्नी प्रहलाद सिंह
31. मनोहर सिंह पुत्र धापू कंवर
32. महेन्द्र सिंह पुत्र सुप्यार सिंह
33. महावीर सिंह पुत्र भंवर सिंह
34. मामराज सिंह पुत्र गणपत सिंह
35. रूघवीर सिंह पुत्र भंवर सिंह
36. राजेन्द्र सिंह पुत्र मांगू सिंह
37. रामकुवार पुत्री सुप्यार सिंह
38. लक्ष्मी कंवर पुत्री अमर सिंह
39. संतोष कंवर पुत्री सुप्यार सिंह
40. सुमन कंवर पुत्री धापू कंवर
41. सरोज कंवर पुत्री प्रहलाद सिंह
42. सरोज कंवर पुत्री अमर सिंह
43. सोहन कंवर पुत्री प्रहलाद सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी देवीपूरा पटवार हल्का चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
44. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:45:00 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

45. शाखा प्रबंधक झुन्झुनू सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 शाखा नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
46. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

—अनावेदकगण

वकील आवेदक : — श्री अमर सिंह शेखावत
वकील अनावेदक :— श्री विजेन्द्र सिंह दूत

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

—:: आदेश ::—

दिनांक 05.05.2025

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :— ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1177, 1178, 1179, 1181, 1182, 1183, 1185, 1186, 1187, 1188, 1191 कुल किता 11 कुल रकबा 6.1100 है0 भूमि स्थित है जो आवेदिकागण के साथ अनावेदक संख्या 1 लगायत 9 तथा आवेदक संख्या 12 लगायत 43 की पैत्रिक सहदायिक सम्पति की भूमि है जो पिढी दर पिढी चली आ रही है जिस पर शामलाती रूप से आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि स्व0 जस सिंह उर्फ जसवंत सिंह के वारीसान होने के कारण प्राप्त हुई है जिसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से ही हक हकूक प्राप्त है।

उक्त भूमि को सभी खातेदार/काश्तकार शांति पूर्वक बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि में प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 अनुसार आंवेदिकागण तथा आवेदकगण का हिस्सा शामलाती रूप से राजस्व रिकॉर्ड में चला आ रहा है।

उक्त विवादग्रस्त भूमि पैत्रिक सहदायिक सम्पति है जिसमें स्व0 मूलसिंह के वारिसान को जन्म से ही हक हकूक तथा हिस्सा प्राप्त है। परन्तु मूल सिंह पुत्र जसवंत सिंह का देहान्त पिता जसवंत सिंह के जीवनकाल में होने के कारण से जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त भूमि में स्व0 मूलसिंह का 1/6 हिस्सा एकमात्र वारिस होने के कारण से आवेदिकागण के पिता/पति सुमेर सिंह को स्व0 मूलसिंह का हिस्सा 1/6 प्राप्त हुआ। जिसके संबंध में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में ए0एस0ओ0 के द्वारा नोट भी लगाया हुआ है इस प्रकार से स्व0 मूल सिंह के वारिसान को जन्म से ही हक हकूक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ है लेकिन स्व0 सुमेर सिंह पुत्र जसवंत सिंह की पुत्री अनावेदक संख्या 3 लगायत 9 की माता स्व0 मंजू कंवर चतुर चालाक महिला हाने के साथ साथ शुरू से ही आवेदिकागण तथा अनावेदक संख्या 1 व 2 के वादग्रस्त संपति की भूमि में प्राप्त हिस्से को हडपना चाहती थी ताकि आवेदिकागण तथा अनावेदक संख्या 1 व 2 के वादग्रस्त सम्पति की भूमि में प्राप्त हक हिस्से को हडप सके। इसी उदेश्य की पूर्ति के लिए आवेदिकागण के पिता/ पति स्व0 सुमेर सिंह के वृद्व होने के साथ साथ मंद बुद्वि होने का गलत फायदा उठाने की गर्ज से गलत बने राजस्व रिकॉर्ड के आड़ में सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में स्व0 सुमेर सिंह से उनके वैध हिस्से 1/36 यानि 0.1697 है0 अधिक भूमि का गलत विक्रय पत्र दिनांक 20.01.2012 को अनावेदक संख्या 3 लगायत 9 की माता स्व0 मंजू कंवर ने अपने पक्ष में तस्दिक करवा लिया जो आवेदिकागण के अधिकारों के खिलाफ कानूनन शुरू से शुन्य तथा अकृत होने के कारण से प्रभावहीन दस्तावेज है कानूनन प्रभावहीन दस्तावेज से किसी को भी कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। स्व0 मंजू कंवर चतुर चालाक किस्म की महिला होने के साथ साथ उसका पति छोटू सिंह जमीनों का धंधा करने से दिनांक 20.01.2012 को गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में आवेदिकागण को पैत्रिक सहदायिक सम्पति की शामलाती भूमि से वंचत करने के उदेश्य से तैयार करवाये गये गलत विक्रय पत्र दिनांक 20.01.2012 को लगभग 10 वर्षो तक छुपाये रखा ताकि अन्य किसी खातेदार हिस्सेदार को भनक नही लग सके। गलत रिकॉर्ड के आधार पर बने विक्रय पत्र का बाला बा[illegible] कानूनन आवेदिका संख्या 3 को अपने हिस्से से अधिक भूमि का अंतकरण करने का कोई [illegible] अधिकार प्राप्त नही था। कानूनन अपने वैध हिस्से से अधिक भूमि को विक्रय [illegible] तथा अनावेदक संख्या 3 लगायत 9 को गलत बने विक्रय पत्र के आधार पर कोई [illegible] अधिकार पैदा नही होते है ना ही आवेदिकागण को पैत्रिक भूमि से वंचित किया जा सकता है। आवेदिकागण को उसके वैध अधिकारों से वंचित करने के लिए अनावेदक संख्या 3 लगायत 9 की मा[illegible] स्व0 मंजू कंवरर को पैत्रिक सहदायिक सम्पति की सामलाती भूमि की पूर्ण जानकारी होते हुए भी अवैधानिक कार्यवाही की है जिससे आवेदिकागण को सख्त हकतलफी पैदा हुई है। हालांकि आवेदिकागण को शुरू से ही शुन्य विक्रय पत्र के रहने से आवेदिकागण के अधिकारों को कोई प्रतिकूल असर नही पड़ता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:45:00 IST
Reason: SelfAttested

स.सि.जे.एम. (क्र. दे.)
नवलगढ

स्व. सुमेर सिंह पुत्र स्व0 मूल सिंह उर्फ फूल सिंह का देहान्त दिनांक 24.05.2021 को हो चुका है तथा स्व0 मूल सिंह की पुत्री मंजू कंवर पत्नी छोटू सिंह का देहान्त ग्राम पलासरा में दिनांक 8.06.2023 को हो चुका है। स्व0 मंजू कंवरर के विधक वारिसान अनावेदक संख्या 3 लगायत 9 है जो काफी होशियार, चतुर चालाक है जो बाला बाला गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड में ओवदिकागण को पैत्रिक सहदायिक सम्पति की भूमि से आवेदिकागण को वंचित करने के लिए अजनबी विक्रेता को विक्रय करने पर अमादा है। उक्त वादग्रस्त भूमि से गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर आवेदिकागण को बेदखल कर सकती है। यदि अनावेदक संख्या 3 लगायत 9 अपनी नाजायज मंशा मे सफल हो गये तो आवेदिकागण का प्रार्थना पत्र व्यर्थ हो जायेगा साथ ही अपने अधिकारें से वंचित होना पड़ेगा। आवेदिकागण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदिकागण के पक्ष में है, अपूर्णीय क्षति होन की पूरी पूरी संभावना है। अतः अनावेदक संख्या 3 लगायत 9 के विरूद्व आवेदिकागण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि के संबंध में अनावेदक संख्या 3 लगायत 9 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि उक्त भूमि के किसी भी भू भाग पर न तो स्वयं कब्जा करें ना ही किसी अन्य से करवाये तथा ना स्वयं बेदखल करें ना ही किसी अन्य से करवायें। आवेदिकागण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। उक्त भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदकगण संख्या 03 लगायत 09 की ओर से वकील श्री विजेन्द्र सिंह दूत उपस्थित न्यायालय आये तथा आवेदक के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के निवेदन कि साथ जवाब प्रार्थना पत्र बिन्दुवार इस पेश किया कि :– उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि में हिस्सा 1/6 जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 22.12.2011 को उत्तरदातागण की माताजी स्व0 मंजू कंवर ने 3,00,000/– रूपये प्रतिफल राशि अदा करके प्राप्त की है जिसके अनुसार उनके पक्ष में नामांतकरण भरा जाकर खातेदारी दर्ज हुई है और उसके बाद उत्तरादागण की माताजी का स्वर्गवास हो जाने पर उसके स्थान पर खातेदारी उत्तरदातागण के नाम दर्ज हुई है इस प्रकार उक्त प्रश्नगत कृषि भूमि में हिस्सा 1/6 के खातेदार काश्तकार उत्तरदातागण है और उनका ही कब्जा काश्त है। जबकि प्रश्नगत कृषि भूमि में आवेदकगण न तो खातेदार काश्तकार है ना ही उनका कब्जा काश्त है ना ही भूमि पैत्रिक है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में दर्ज जसजी उर्फ जसवंत सिंह की वंशावली गलत दर्ज की है। जिसमें स्व0 जसजी उर्फ जसवंती सिंह व स्व0 मूल सिंह के सभी वारिसानों को ना तो शामिल किया गया है और ना ही प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। जिसके अभाव में उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। उक्त भूमि उत्तरदातागण की माताजी को पैत्रिकता के आधार पर प्राप्त नही हुई है बल्कि उत्तरदातागण की माताजी ने प्रतिफल राशि देकर कानूनी रूप से क्रय की गई उनकी स्वअर्जित संपति है। उक्त भूमि को उत्तरदाता गण काबिज व आबाद है तथा काश्त करते है। जिसमें आवेदिकागण तथा अनावेदक संख्या 1 व 2 का कोई लेना देना नही है। आवेदिकागण ने प्रश्नगत कृषि भूमि स्व0 मूल सिंह की बतलाकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है परन्तु स्व0 मूलसिंह प्रश्नगत कृषि भूमि का कभी खातेदार काश्तकार नही रहा है। इसकारण आवेदिकागण तथा अनावेदक संख्या 1 व 2 का प्रश्नगत कृषि भूमि में हक हिस्सा होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। आवेदिकागण व अनावेदिकागण 1 व 2 के पति व पिता सुमेर सिंह ने अपने जीवनकाल में ही आवेदिका नं0 2 एवं अनावेदिका संख्या 1 व 2 की शादियां कर दी है तब से वे अपने ससुराल रहने लग गई थी। लेकिन उनके पिता सुमेर सिंह पास उक्त प्रश्नगत कृषि भूमि के अलावा आय का अन्य कोई स्त्रोत नही रहा। इस कारण आवेदिका संख्या 2 तथा अनावेदिका संख्या 1 व 2 एवं मंजू कंवर की शादीयों में व परीवार की अन्य [illegible] कर्जा हो गया था जिसका चूकाने के लिए सुमेर सिंह के पास काई स्त्रोत उपलब्ध नही [illegible] सुमेर सिंह ने आवेदिकागण संख्या 1 व 2 की स्वीकृति से परिवार की [illegible] 3,00,000/– रूपये प्राप्त करके दिनांक 22.12.2011 को उत्तरदाताग[illegible]माताजी मंजू कवर [illegible] में विक्रय पत्र तस्दीक करवाकर प्रशनगत कृषि भूमि में हिस्सा 1/6 का [illegible] उत्तरादातागण उक्त प्रशनगत कृषि भूमि पर काबिज व आबाद [illegible] आवेदिकागण ने विक्रय पत्र तथा नामांतकरंण को आज तक चुनौती नही दी है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदिकागण का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा निहित नही है। उत्तरदातागण ने उक्त भूमि पर पक्के मकानात् बना रखें है जिसमें विधुत कनेक्शन करवा रखा है तथा टयूब वैल बना रखी है। तथा तमाम सुख सुविधाओं का उत्तरदातागण उपयोग उपभोग कर रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:45:00 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. जे. एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ

उत्तरदातागण की माताजी ने कानूनन प्रकिया के अनुसार सही तरीके से विक्रय पत्र बनाया है जिसके करीबन 13–14 साल बाद माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करके विक्रय पत्र को निरस्त करवाने का आवेदकगण को कोई हक अधिकार नही है तथा इस प्रकार के विक्रय पत्र को अंदर मियाद सिविल न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करके निरस्त करवाने का हक था। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नही होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। सुमेर सिंह ने अपनी खातेदारी की भूमि का मंजू कंवर के नाम विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया था जिसका सुमेर सिंह ने अपने जीवनकाल में कभी भी एतराज नही किया। दिनांक 24.05.2021 को सुमेर सिंह का स्वर्गवास हो जाने के बाद में विक्रय पत्र के करीबन 13–14 साल बाद उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसका आवेदिकागण को कोई अधिकार नही है। आवेदिकागण ने प्रार्थना पत्र में अपना निवास स्थान देवीपुरा दर्ज किया है जो कि गलत दर्ज किया है। आवेदिकागण न तो देवीपुरा मे रहती है ना ही उनका कब्जा काश्त है। इसलिए आवेदिकागण को बेंदखल करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। आवेदिकागण को खातेदार काश्तकार तथा कब्जाधारी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नही है ना ही रिलिफ प्राप्त करने का अधिकार है। आवेदिकागण ने उत्तरदातागण के विरूद्व विधिविरूद्व तरीके से वाद पेश किया है। आवेदिकागण का ना ही प्रथम दृष्टया मामला है बल्कि उत्तरादागण का प्रथम दृष्टया मामला है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तौ आवेदिकागण की अपेक्षाकृत उत्तरदातागण को ज्यादा नुकशान होगा। अतः उत्तरदागण की ओर से जबाब पेश कर निवेदन है कि आवेदिकागण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

जबाबदेही पेश होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वादी व प्रतिवादी 1 लगायत 9 जसजी उर्फ जसवंत सिंह के वारीस है जो कि वंशावली में दर्ज किया गया है। उक्त भूमि पैत्रिक संपति होने के कारण सुमेर सिंह के हिस्से में आई। सुमेर सिंह की पुत्री मंजू कंवर के पुत्र व पुत्री आवेदकगण संख्या 3 लगायत 9 है। छोटू सिंह मंजू कंवर के पति है। मंजू कंवर ने विक्रय पत्र सुमेर सिंह से अपने पक्ष में तस्दीक करवा लिया था। मंजू कंवर की मृत्यु के बाद उक्त भूमि अनावेदकगण संख्या 3 लगायत 9 के दर्ज हो गयी। सुमेर सिंह की मृत्यु मंजु कंवर की मृत्यु के बाद हुई। तीन लाख रूपये सुमेर सिंह के खाते में नही आये। बिना प्रतिफल के विक्रय पत्र तस्दीक करवा लिया था। अतः अनावेदकगण को पाबंद किया जावे कि उक्त भूमि को ताफैसला दावा खुर्द बुर्द नही करें। अनावेकदगण के जबाब प्रार्थना पत्र में नामांतकरण का उल्लेख नही है कि नामांतकरण कब भरा गया। अनावेकदगण उक्त भूमि को हड़पना चाहते है। अतः इन्हे पाबंद किया जावे। जबाब बहस में वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि आवेदकगण ने मेरे खिलाफ एकपक्षीय अंतरिम टी0आई ले रखी है। प्रार्थी ने दावे की विषय वस्तु पर तहनउमदजे किये है जिनका टी0 आई0 से कोई संबंध नही है। उक्त भूमि उत्तरदातागण की माताजी ने दिनांक 22.12.2011 को प्रतिफल देकर जरिये रजि0 विक्रय पत्र से प्राप्त की है। उत्तरदातागण की माताजी के देहान्त होने पर उक्त भूमि का नामांतकरण उत्तरदाता के दर्ज हो गया। उत्तरदातागण ने उक्त भूमि पर टयुबवैल बनवा रखा है तथा उत्तरदातागण का कब्जा काश्त है। आवेदिकागण ने उक्त भूमि में किस हैसियत से अंतरिम टी0आई0 ली। उक्त भूमि हमने तो खरीदी है। उक्त भूमि के दस्तावेज मेरे पक्ष में है तथा कब्जा काश्त मेरा है। उक्त भूमि के उत्तरदातागण रिकोर्डेड खातेदार है अतः रिकोर्डेड खातेदार को पाबंद नही किया जा सकता है। आवेदिकागण ने मियाद बाहर प्रार्थना पत्र पेश किया है। आवेदिकागण ने दावे मे सभी को पक्षकार बनाया है जबकि प्रार्थना पत्र में सभी पक्षकारों को पक्षकार नही बनाया है। कब्जे काश्त को लेकर न्यायालय तहसीलदार से कब्जे की रिपोर्ट भी मंगवा सकता है। आवेदिकागण के पक्ष में न तो प्रथम दृष्टया मामला है ना ही सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:45:00 IST
Reason: SelfAttested

- **प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन :– दोनों बिन्दुओं को एक साथ विवेचन किया जा रहा है।**

आवेदकगण का मुख्य कथन है कि विवादग्रस्त भूमि आवेदिकागण व अनावेदकगण की पैतृक संपति है जिसमें आवेदिकागण अपने पिता सुमेर सिंह द्वारा 1/6 हिस्से का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मंजू कंवर के पक्ष में तस्दीक हुआ है को निरस्त करवाकर अपने हिस्से की घोषणा व विभाजन करवाना चाहती है तथा

ए.सी.एम. (प्र. द्वि.)
नवलगढ

उक्त विवादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाना चाहती है तथा अनावेदकगण संख्या 03 लगायत 09 को तापिला दावा उक्त विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहती है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिकागण ने उक्त विवादग्रस्त भूमि के पैत्रिक संपति होने तथा इस पैतृक संपति में उसका हक हिस्सा होने का कथन करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा0 पत्र पेश किया है। प्रथम दृष्टया पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज नही है जो यह प्रमाणित करता हो कि उक्त भूमि पैत्रिक संपति है तथा आवेदिकागण के पिता द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि से अधिक का विक्रय पत्र आवेदिकगण 3 लगायत 9 की माताजी के नाम तस्दीक करवाया हो। आवेदिकागण द्वारा उक्त भूमि पर कब्जे काश्त को लेकर किसी प्रकार का साक्ष्य पेश नही किया है जिससे स्पष्ट हो कि उक्त भूमि पर आवेदिकागण का किसी प्रकार से कब्जा काश्त हो। उक्त विवादग्रस्त भूमि के 1/6 हिस्से का अनावेदकगण संख्या 3 लगायत 9 की माताजी मंजू कंवर द्वारा प्रतिफल अदा कर जरिये रजि0 विक्रय पत्र द्वारा आवेदिकागण के पिता से भूमि क्रय की है तथा जमाबंदी सम्वत् 2075–78 से स्पष्ट है कि उक्त भूमि के अनावेदकगण संख्या 3 लगायत 9 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। आवेदिकागण ने कथन किया है कि वे उक्त भूमि पर काबिज काश्त है जबकि उक्त संपूर्ण भूमि में किस हिस्से पर कौन काबिज काश्त है उक्त संबंध में पत्रावली पर कोई दस्तावेज/बंटवारा की प्रति मौजूद नही। इन तमाम तथ्यों व परिस्थिति व पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2075–78 से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि अनावेदकगण की खातेदारी की दर्ज रिकॉर्ड है तथा वे रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। अतः अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। फलस्वरूप प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन आवेदिकागण के पक्ष में प्रतीत नही होता है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन के बिन्दु आवेदिकागण के विरूद्ध तय किये जाते है।

अपूरणीय क्षति :– उपरोक्त दोनो बिन्दु आवेदिकागण के पक्ष में नही होने से आवेदिकागण को अपूरणीय क्षति घटित होना प्रतीत नही होती है।

–::आदेश::–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदिकागण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है तथा दिनांक 30.01.2024 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:45:00 IST
Reason: SelfAttested